

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतनलाल

बनाम

पकाश

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 171/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रतनलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>श्याम शाहरी</u></p> <p>निवासी- <u>सेगवा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सेगवा (पण्डे लेमालीमा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>536 537</u> <u>539 540</u> 0.3434 0.0200 <u>0.0150 0.6382</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> कुल रकबा <u>1.0166</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सेगवा (प.ह. लेमालीमा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>536, 537, 539, 540</u> <u>0.3434 0.0200 0.0150 0.6382</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>1.0166</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रूपये अक्षर <u>एक हजार रूपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>